भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 623
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवंटित निधि

623. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक आवंटित निधि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से तमिलनाडु में स्वनिधि योजना की शुरुआत के पश्चात् से इसके अंतर्गत लाभार्थियों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने, तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में, उन लाभार्थियों की संख्या संबंधी कोई डेटा संकलित किया है जिन्होंने शुरुआती 10,000 रुपये का ऋण समय पर चुकाने के पश्चात् 20,000 रुपये और आगे 50,000 रुपये का ऋण लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों को स्वनिधि योजना का लाभ पाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधियां जारी नहीं की जाती है। ऋण राशि बैंकों द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में संवितरित की जाती है।

(ख): 30 जनवरी, 2025 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण संवितरित किए गए लाभार्थियों की संख्या इसकी शुरुआत से अब तक 68.02 लाख है। तमिलनाडु में, इस योजना के तहत 3.99 लाख लाभार्थी हैं। तमिलनाडु राज्य में लाभार्थियों का जिलावार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है ।

(ग): 30 जनवरी, 2025 तक तमिलनाडु में लगभग 2.28 लाख लाभार्थियों ने पहली किश्त का ऋण चुकाया है, जिसमें से 1.37 लाख लाभार्थियों ने दूसरी किश्त का ऋण लिया है। इसके अलावा, 45,363 लाभार्थियों ने दूसरी किश्त का ऋण चुकाया है, जिसमें से 26,955 लाभार्थियों ने तीसरी किश्त का ऋण लिया है। जिलेवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): पीएम स्वनिधि योजना के लाभ तक फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों की पहुंच को रोकने और बड़ी संख्या में आवेदनों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एक एन्ड टू एन्ड आईटी पोर्टल - www.pmsvanidhi.mohua.gov.in विकसित किया गया है। सभी स्ट्रीट वेंडरों को इस पोर्टल के माध्यम से योजना के लाभ के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। संचालन को आसान बनाने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा, स्ट्रीट वेंडरों के पास ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए सत्यापन के बाद संबंधित यूएलबी द्वारा जारी किया जाने वाला या तो विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) या अनुशंसा पत्र (एलओआर) होना चाहिए। इसके अलावा, ऋण देने वाली संस्थाएं भी ऋण स्वीकृत करने से पहले प्राप्त आवेदनों की जांच करती हैं।

*****

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 623 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

पीएम स्वनिधि योजना के तहत तमिलनाडु में लाभार्थियों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	अरियालुर	1,037
2	चेंगलपट्टू	4,378
3	चेन्नई	1,00,429
4	कोयंबटूर	31,672
5	कुड्डालोर	9,790
6	धर्मपुरी	2,675
7	डिंडीगुल	9,350
8	इरोड	11,781
9	कल्लाकुरिची	1,311
10	कांचीपुरम	14,753
11	कन्याकुमारी	9,638
12	करूर	5,232
13	कृष्णागिरी	4,098
14	मदुरै	18,393
15	माइलादुत्रयी	2,236
16	नागपट्टिनम	2,810
17	नमक्कल	7,655
18	पेरम्बलुर	966
19	पुदुक्कोट्टई	3,509
20	रामनाथपुरम	4,653
21	रानीपेट	1,416
22	सलेम	19,550
23	शिवगंगा	4,529
24	तेनकासी	3,755

25	तंजावुर	9,680
26	नीलगिरी	4,682
27	थेनी	9,707
28	तिरुवल्लुर	6,635
29	थिरुवरुर	3,588
30	तिरुचिरापल्ली	18,372
31	तिरुनेलवेली	10,207
32	तिरुपथुर	2,800
33	तिरुपूर	16,399
34	तिरुवन्नामलाई	5,583
35	तूतीकोरिन	8,966
36	वेल्लोर	13,365
37	विल्लुपुरम	6,159
38	विरुधुनगर	7,647
	कुल	**3,99,406**

(डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल)

दिनांक 6 फरवरी 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 623 के भाग (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-॥

पीएम स्वनिधि योजना के तहत तमिलनाडु में संवितरित दूसरे और तीसरे ऋण का जिलेवार दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	ऋण किश्त -1		ऋण किश्त -2		ऋण किश्त -3	
		संवितरित ऋण	चुकाए गए ऋण	संवितरित ऋण	चुकाए गए ऋण	संवितरित ऋण	चुकाए गए ऋण
1	अरियालुर	1,037	590	371	185	107	-
2	चेंगलपट्टू	4,378	2,494	1,727	584	372	-
3	चेन्नई	1,00,429	53,578	33,457	10,083	5,959	5
4	कोयंबटूर	31,672	19,121	11,123	3,980	2,336	2
5	कुड्डालोर	9,790	6,469	4,176	1,245	805	1
6	धर्मपुरी	2,675	1,397	606	241	101	-
7	डिंडीगुल	9,350	6,055	3,680	1,508	731	4
8	इरोड	11,781	6,546	3,917	1,346	730	-
9	कल्लाकुरिची	1,311	908	441	123	64	2
10	कांचीपुरम	14,753	6,825	3,896	1,117	727	2
11	कन्याकुमारी	9,638	6,365	4,508	1,761	1,181	19
12	करूर	5,232	3,091	1,899	778	484	3
13	कृष्णागिरी	4,098	2,367	1,407	552	326	5
14	मदुरै	18,393	12,673	9,017	3,608	2,233	3
15	माइलादुत्रयी	2,236	1,239	756	227	144	-
16	नागपट्टिनम	2,810	2,166	1,381	638	487	-
17	नमक्कल	7,655	4,226	2,314	629	328	-
18	पेरम्बलुर	966	566	219	101	43	1
19	पुदुक्कोट्टई	3,509	2,113	1,377	578	344	2
20	रामनाथपुरम	4,653	2,794	1,525	373	214	2
21	रानीपेट	1,416	445	240	67	22	-
22	सलेम	19,550	8,681	3,280	633	302	1
23	शिवगंगा	4,529	2,597	1,631	476	290	1
24	तेनकासी	3,755	1,865	1,152	294	182	-
25	तंजावुर	9,680	5,745	2,934	937	528	5

26	नीलगिरी	4,682	2,794	1,853	701	409	2
27	थेनी	9,707	5,971	4,258	1,810	1,163	2
28	तिरुवल्लुर	6,635	4,749	2,265	672	378	-
29	थिरुवरुर	3,588	2,437	1,322	618	332	2
30	तिरुचिरापल्ली	18,372	11,163	7,534	2,546	1,692	1
31	तिरुनेलवेली	10,207	6,332	3,952	1,274	798	-
32	तिरुपथुर	2,800	1,522	822	231	115	-
33	तिरुपूर	16,399	8,943	4,400	1,156	556	-
34	तिरुवन्नामलाई	5,583	3,591	2,153	850	398	1
35	तूतीकोरिन	8,966	4,678	2,705	767	447	1
36	वेल्लोर	13,365	6,931	3,979	984	551	3
37	विल्लुपुरम	6,159	3,669	2,462	706	471	17
38	विरुधुनगर	7,647	4,373	2,454	984	605	4
	कुल	**3,99,406**	**2,28,069**	**1,37,193**	**45,363**	**26,955**	**91**

(डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल)